BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 24 अक्टूबर, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 16 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त गोविन्दा पुत्र राय सिंह निवासी ग्राम डिरौरा विश्वनाथपुर थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में थाना छतारी क्षेत्र निवासी एक लड़की उम्र-19 वर्ष को नशीला पदार्थ सुंघाकर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 22.10.2020 को थाना छतारी पर मुअसं–414/2020 धारा 376,506,328,342 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 29.11.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 24.10.2024 को न्यायाधीश श्री हरिकेश कुमार (मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-01- जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त गोविन्दा को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 16 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री केशव देव शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।